Regarding the issue of freezing of bank accounts and incident of cyber crimes

श्री घनश्याम सिंह लोधी **(**रामपुर**) :** माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक गंभीर विषय से अवगत कराना चाहता हूँ।

आज के समय में चायवाला, फलवाला, पानवाला यूपीआई से लेना-देना करता है। लेकिन आजकल यदि कोई दुकानदार यूपीआई से भुगतान स्वीकार कर लेता है तो बैंक उसके खाते को फ्रीज़ या लॉक कर देता है, जबकि सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाता है। आज के समय में अधिकांश उपभोक्ता पे-टीएम, फोन-पे आदि से भुगतान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुकान से कोई सामान खरीदता है या होटल से कुछ खाने के लिए खरीदता है, तो वह डिजिटल पेमेंट का उपयोग करके भुगतान करता है। दुर्भाग्यवश, जिस डिजिटल खाते से भुगतान किया जाता है, यदि वह ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ा होता है, तो इसके परिणामस्वरूप पुलिस के आदेश पर उस होटल या दुकान के बैंक खाते को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही, यदि उस दुकानदार द्वारा अन्य लोगों को भी भुगतान किया गया हो, तो उन सभी खातों को फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसी घटनाएं केवल एक या दो राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि देश भर में हो रही हैं। आजकल पुलिस के निर्देशानुसार सैंकड़ों ग्राहकों के बचत खाते को बैंक्स फ्रीज कर रहे हैं। छोटे-छोटे दुकानदारों, बुज़ुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों को बैंक खाते फ्रीज होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

हालांकि, कुछ मामलों में खातों को फ्रीज करने की आवश्यकता हो सकती है। यह बड़ा मुद्दा है कि पुलिस और बैंक्स मामले में पर्याप्त जांच के बिना, मामूली आधार पर लोगों को अपनी स्वयं की बैंक बचत तक पहुंचने से रोक रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदया से अनुरोध है कि इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी के केसों में यदि दुकानदार को उसके सामान को बेचने पर कोई भुगतान प्राप्त होता है, तो उसके फ्रीज्ड अकाउंट को तुरंत प्रभाव से खोल देने का प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, पीड़ित दुकानदार के राज्य में ही नजदीकी संबद्ध साइबर क्राइम ब्रांच ? 1 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दे, ताकि पीड़ित दुकानदार को अन्य राज्यों में भागना न पड़े।

धन्यवाद।

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर **(**माधा**) :** माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बात करना चाहता हूं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** जी, बोलिए।

? (व्यवधान)